

**MEETING SECTION**  
**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE**  
**ROORKEE 247 667**

No.IITR/MS-45/686

Dated: 31<sup>st</sup> March 2006

**NOTIFICATION**

1. In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act 2005, the under-mentioned officers of this Institute are hereby designated as Public Information Officer (PIO) and Assistant Public Information Officer (APIOs) in respect of the specific subject matter mentioned against their names:-

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of PIO/APIO</b>	<b>Designation</b>	<b>Telephone Number</b>	<b>Subject matter</b>
1.	Lt. Col. A.K.Srivastava (Retd.) Public Information Officer	Registrar I.I.T. Roorkee	01332-272430	All matters relating to the Institute
2.	Mr. Prashant Garg Assistant Public Information Officer	Dy. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285637	Matters concerning Establishment 'B' Section, and Legal Cell.
3.	Mr. Shyam Narayan Assistant Public Information Officer	Dy. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285535	Matters concerning Establishment 'A' Section.
4.	Mr. Rakesh Mishra Assistant Public Information Officer	Dy. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285877	Matters concerning Finance & Accounts Office.
5.	Mr. Raman Lal Assistant Public Information Officer	Asstt. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285253	Matters concerning SRIC Office.
6.	Mr. Ajay Sharma Assistant Public Information Officer	Asstt. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285098	Academic matters.
7.	Mr. S.K. Saini Assistant Public Information Officer	Asstt. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285015	Matters concerning General Section.
8.	Mr. Suman Kumar Assistant Public Information Officer	Asstt. Registrar I.I.T. Roorkee	01332-285879	Matters concerning Central Purchase Office.

2. For providing the desired information, fee shall be charged as per Annexure -I.

Persons Concerned

( A. K. Srivastava )  
Lt. Col. (Retd.)  
Registrar

Copy to:-

1. All Deans/Professors-in-Charge.
2. All Heads of the Departments/Centres/Offices.
3. All Notice Boards of the Institute.

**बैठक अनुभाग**  
**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की**

सं० भा०प्रौ०सं० / एमएस-45 / 686

दिनांक 31 मार्च 2006

**अधिसूचना**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सम्बन्धित विषयों की जानकारी देने के लिए, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में मनोनीत किये गये हैं:

क्र० सं०	लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष	सम्बन्धित विषय
1.	ले० कर्नल (से०नि०) अनिल कुमार श्रीवास्तव लोक सूचना अधिकारी	कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-272430	संस्थान से सम्बन्धित सभी विषय।
2.	श्री प्रभान्त गर्ग सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप-कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285637	संस्थापन (ब) अनुभाग और लीगल सैल से सम्बन्धित विषय।
3.	श्री ध्याम नारायण सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप-कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285535	संस्थापन (अ) अनुभाग से सम्बन्धित विषय।
4.	श्री राकेश मिश्रा सहायक लोक सूचना अधिकारी	उप-कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285877	वित्त एवं लेखा कार्यालय से सम्बन्धित विषय।
5.	श्री रमन लाल सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285088	प्रायोजित शोध एवं औद्योगिकी परामर्श कार्यालय से सम्बन्धित विषय।
6.	श्री अजय वर्मा सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285098	शैक्षणिक मामले।
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285015	सामान्य अनुभाग से सम्बन्धित विषय।
8.	श्री सुमन कुमार सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	01332-285879	केन्द्रीय कय कार्यालय से सम्बन्धित विषय।

2. वांछित सूचना देने के लिये संलग्नक -1 के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

(अनिल कुमार श्रीवास्तव)  
ले० कर्नल (से०नि०)  
कुलसचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत  
सूचना प्राप्त करने के लिए प्रभारित शुल्क का विवरण

- 1, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में एक आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क रूपये 10/- (रूपये दस मात्र) का एक बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की शाखा पर देय हों या रूपये 10/- (रूपये दस मात्र) नगद रूप में संस्थान के वित्त एवं लेखा कार्यालय में जमा करा कर रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा।
- 2, लिखित में सूचना प्राप्त करने के लिए ए-4 या ए-3 साईज के कागज पर दो रूपये प्रति पृष्ठ।
- 3, बड़े आकार के कागज पर प्रति के लिए वास्तविक शुल्क या कीमत मूल्य वसूल किया जायेगा।
- 4, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, और उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए रूपये पाँच का शुल्क वसूल किया जायेगा।
- 5, इलैक्ट्रॉनिक रूप में (सी डी पर) सूचना प्राप्त करने के लिए पचास रूपये प्रति सी0डी0 वसूल किये जायेंगे।
- 6, मुद्रित रूप में सूचना प्राप्त करने के लिए उसका निर्धारित मूल्य या उसके किसी भाग की फोटो प्रति के लिये रूपये दो प्रति पृष्ठ।
- 7, ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

## **Annexure-I**

### **Details of Fees to be charged for obtaining information under Right to Information Act, 2005**

1. Application Fee

A person, who desires to obtain information under this Act, shall make a request in writing, accompanied by a bank draft of Rs.10/- (Rupees Ten only) in the name of Registrar, Indian Institute of Technology Roorkee payable at the State Bank of India, IIT Roorkee Branch or enclose the copy of the receipt for Rs.10/- (Rupees Ten only), by depositing the same in cash in the Finance & Accounts Office of the Institute towards the application fee, specifying the particulars of the information sought by him or her.

2. Rupees two (Rs.2/-) for each page (in A-4 or A-3 size paper) of the information required.
3. Actual charge or cost price of a copy in larger size paper.
4. For inspection of records, no fee for the first hour, and a fee of rupees five (Rs.5/-) for each subsequent hour (or fraction thereof).
5. For providing information on CD rupees fifty per CD.
6. For providing information in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.
7. No such fee shall be charged from the persons who are below the poverty line.